भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1408
उत्तर देने की तारीख : 01 जुलाई, 2019

कलाकारों के लिए पेंशन एवं चिकित्सा सहायता योजना

1408. श्री केसिनेनी श्रीनिवास :
श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव :
श्री एच. वसंतकुमार :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलाकारों के लिए पेंशन एवं चिकित्सा सहायता योजना (एसपीएमएए) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) एसपीएमएए के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है;

(ग) तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित देश में गत चार वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितने फिल्मी/टीवी कलाकारों को लाभ हुआ है; और

(घ) क्या सरकार उक्त योजना के लाभों को नाट्य कलाकारों को भी प्रदान करने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)
संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) : सरकार द्वारा "कलाकारों को पेंशन और चिकित्सा सहायता की स्कीम" नामक स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य उन वयोवृद्ध कलाकारों और विद्वानों की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है जिन्होंने कलाओं, साहित्य आदि के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है परन्तु वे दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं या अभावग्रस्त परिस्थिति में हैं।

(ख) : प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 4000/- रुपए प्रतिमाह की राशि दी जा रही है।

(ग) : मंत्रालय द्वारा कला रूप-वार आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(घ) : इस स्कीम के अंतर्गत नाट्य कलाकारों को पहले ही शामिल किया गया है।

***